लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था0–4 / सी / अनु0नियु0 / 2018 / 2228 भोपाल,दिनांक 25/09/18

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला बालाघाट
मध्यप्रदेश ।

विषय :– अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण–श्रीमती रूपलता गजभिये पति स्व. श्री मनोज कुमार ।

विषयांकित प्रकरण में लेख है, कि श्रीमती रूपलता गजभिजे पति स्व. श्री मनोज कुमार गजभिये का अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण कलेक्टर जिला बालाघाट के अधीनस्थ कार्यालयों में सीधी भर्ती के अंतर्गत अनुसूचित जाति प्रवर्ग में सहायक ग्रेड–3 का पद रिक्त नहीं होने के कारण संचालनालय को प्राप्त हुआ है । वर्तमान मे शिक्षा विभाग में भी सहायक ग्रेड–3(अनुसूचित जाति) का पद रिक्त नहीं होने के कारण लोक शिक्षण संचालनालय स्तर पर गठित समिति के परीक्षण उपरांत प्रकरण में निम्नांकित निर्णय लिया गया है :–

सहायक ग्रेड–3 का पद रिक्त नहीं होने पर अभ्यर्थी से सहमति पत्र (शपथ पत्र) प्राप्त कर भृत्य के रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना प्रस्तावित है । भृत्य के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी द्वारा लिखित सहमति नहीं देते है, तो म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 9.1 के अंतर्गत 05 वर्ष का अंतिम आहरित वेतन का भुगतान की कार्यवाही कर प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि उक्त आशय की सहमति 07 दिवस में संबंधित अभ्यर्थी से सहमति प्राप्त कर पत्र वाहक के हस्ते लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध करावें, ताकि प्रकरण में नियमानुसार विचार किया जा सकें । जानकारी भेजने में विलंब के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें ।

संचालक द्वारा अनुमोदित

(धीरेन्द्र चतुर्वेदी)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठां0क्रमांक / स्था–4 / सी / अनु.नियु. / 2018 / 2229 भोपाल, दिनांक 25/09/18

प्रतिलिपिः–

1 कलेक्टर जिला बालाघाट म.प्र. ।

2 संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर म0प्र0 ।

3 श्रीमती रूपलता गजभिये पति स्व. श्री मनोज कुमार गजभिये निवासी ग्राम पोस्ट सेलवा तहसील कटंगी जिला बालाघाट की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला बालाघाट को तत्काल शपथ पत्र में अवगत करावें ।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश